भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

27.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3956 का उत्तर

प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर रद्दीकरण शुल्क से अर्जित राजस्व

3956. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर रद्दकरण शुल्क से रेलवे द्वारा वर्ष-वार और यात्रा श्रेणी-वार अर्थात् शयनयान, वातानुकूलित 3 टियर, वातानुकूलित 2 टियर, वातानुकूलित 1 टियर, कुर्सी यान आदि से अर्जित कुल राजस्व कितना-कितना है;

(ख) क्या पिछले पाँच वर्षों में इस मामले पर कोई आंतरिक समीक्षा, संपरीक्षा या सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग) राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए के प्रतिदाय) नियम, 2015 के अनुसार आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से रद्द की गई टिकटों सहित सभी प्रतीक्षासूची टिकटों को रद्द करने पर लिपिकीय शुल्क प्रभारित किया जाता है। बहरहाल, टिकटों के रद्दकरण के कारण जमा राशि का ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है। नीति की समीक्षा और युक्तिकरण करना एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2024-25 में यात्री टिकटों पर 60,239 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। यह राशि रेलों में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दी गई औसतन 43% रियायत के बराबर है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपए है, तो टिकट की कीमत केवल 57 रुपए होती है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों को दी जा रही है। दिव्यांगजनों की 4 कोटियों, रोगियों की 11 कोटियों और छात्रों की 8 कोटियों जैसी कई कोटियों के लिए इस सब्सिडी से अतिरिक्त रियायतें दी जा रही हैं।
